न्यायालय : अपर सेशन न्यायाधीश, कुचामन सिटी जिलाः डीडवाना–कुचामन (राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी :– सुन्दर लाल खारोल, **आर.जे.एस.**
(जिला न्यायाधीश संवर्ग)

फौजदारी निगरानी याचिका संख्या :– 07 / 2026

....

शिकेष कांकरिया पुत्र कमाल कांकरिया, निवासी गौगेलाव, जिला नागौर, पदेन अधिशाषी अधिकारी, नगरपालिका मण्डल नावां शहर, जिलाः डीडवाना–कुचामन।

–निगरानीकर्ता

बनाम

1. राजस्थान राज्य, जरिये अपर लोक अभियोजक, कुचामन सिटी।
2. श्रीमति नर्बदा देवी पत्नी श्योजीराम, निवासी वार्ड नं 4, ललित पैलेस के पास, टंकी की ढाणी, कस्बा नावां, तहसील नावां, जिला डीडवाना–कुचामन।

–गैर–निगरानीकर्तागण

–:: उपस्थिति ::–

01.	निगरानीकर्ता की ओर से	–	श्री विष्णुधर शर्मा, श्री यज्ञदत रिणवा अधिवक्तागण।
02.	गैर निगरानीकर्ता संख्या 1 की ओर	–	श्री मनीष शर्मा, अपर लोक अभियोजक।
03.	गैर निगरानीकर्ता संख्या 2 की ओर	–	श्री दातार सिंह, श्री दीपेन्द्र जाखड, अधिवक्तागण।

न्यायालयः– अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, नावां के पीठासीन अधिकारी श्री धर्मेन्द्र सिंह जाखड, आर.जे.एस. द्वारा नियमित आपराधिक प्रकरण 271 / 2025, श्रीमति नर्बदा देवी बनाम प्रेमलता में पारित आदेश दिनांक 17.09.2025 के विरूद्ध आपराधिक निगरानी अन्तर्गत धारा 438 बी.एन.एस.एस. (धारा 397 दण्ड प्रकिया संहिता)

–:: आदेश ::–

दिनांक :– 30.03.2026

1. निगरानीकर्ता के द्वारा यह दाण्डिक पुनरीक्षण याचिका विद्वान् निगरानी न्यायालयः अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, नावां शहर (आगे संक्षिप्तता हेतु विचारण न्यायालय) द्वारा नियमित आपराधिक प्रकरण संख्या 271 / 2025, श्रीमति नर्बदा देवी बनाम श्रीमति प्रेमलता व अन्य में पारित आदेश दिनांक 17.09.2025 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। इस आदेश के माध्यम से विद्वान विचारण न्यायालय के द्वारा गैर

निगरानीकर्ता संख्या–2 की ओर से प्रस्तुत परिवाद पर श्रीमति प्रेमलता के विरूद्ध अपराध धारा 420, 465, 467, 468, 471 व 120बी भारतीय दण्ड संहिता (आगे संक्षिप्तता हेतु भा.द.स.) तथा निगरानीकर्ता शिकेश व अन्य अभियुक्ता श्रीमति सायरी देवी के विरूद्ध धारा 420, 465, 467, 468, 120बी भा.द.स. के अपराध में प्रसंज्ञान लिया गया है। उक्त आलोच्य आदेश से व्यथित होकर निगरानीकर्ता की ओर से यह निगरानी याचिका प्रस्तुत की गई है।

2. निगरानीकर्ता के विद्वान अधिवक्ता का बहस के दौरान निम्न तर्क प्रस्तुत किए हैः

i. विचारण न्यायालय द्वारा पारित प्रसंज्ञान आदेश पूर्णतः विधि विरूद्ध तथा मिथ्या तथ्यो पर आधारित है। विचारण न्यायालय द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य के विश्लेषण में गंभीर त्रुटि की है। निगरानीकर्ता को आलोच्य आदेश की जानकारी दिनांक 03.10.2025 को होने से तथा माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय में प्रस्तुत याचिका के कारण विलम्ब से निगरानी याचिका प्रस्तुत की है। अतः निगरानी याचिका को मियाद सीमा में मानते हुए आदेश प्रदान करने की कृपा करावें।

ii. निगरानीकर्ता नगरपालिका मण्डल नावां का अधिशाषी अधिकारी है। निगरानीकर्ता द्वारा विवादित पट्‌टे पर सभी कानूनी प्रक्रिया नगरपालिका के पदाधिकारी एवं पट्‌टा बाबत् कनिष्ठ अभियन्ता की रिपोर्ट, मौका मुआयना की रिपोर्ट, श्रीमति प्रेमलता द्वारा विवादित भूखण्ड को स्वयं द्वारा खरीद किए जाने बाबत् शपथ पत्र एवं खरीद करने के समर्थन में बेचाननामा के अवलोकन के पश्चात् ही पट्‌टा पर हस्ताक्षर किए है। पट्‌टे हेतु पत्रावली श्रीमति प्रेमलता द्वारा लगाई गई है, जिससे स्पष्ट है कि निगरानीकर्ता के विरूद्ध कोई मामला नही बनता है।

iii. निगरानीकर्ता के समक्ष श्रीमति प्रेमलता द्वारा राज्य सरकार के द्वारा जारी राजपत्र आदेश के तहत आवेदन पेश किया है तथा राज्य सरकार के आदेशानुसार ही नगर पालिका के पदाधिकारियों द्वारा जांच कर पट्‌टे की राशि जमा करवाकर पट्‌टा जारी किया गया है। निगरानीकर्ता द्वारा सभी

कानूनी प्रक्रिया पूर्ण करने के बाद पट्टे पर हस्ताक्षर किए है, जो अपने कर्तव्य की पालना में सद्भाविक नीयत से किए है। इस प्रकार निगरानीकर्ता का कानूनन कोई आपराधिक कृत्य नही बनता है।

iv. श्रीमति प्रेमलता द्वारा पट्टे के आवेदन पर विज्ञाप्ति जारी की गई थी, जिस पर किसी प्रकार की आपत्ति प्रस्तुत नही की गई है। आपत्ति के अभाव में निगरानीकर्ता के पास पट्टा जारी करने के अतिरिक्त किसी प्रकार का विकल्प शेष नही रहता है। राज्य सरकार द्वारा नावां शहर के हर एक वार्ड में पट्टे जारी करने हेतु शिविर लगे हुए थे, तथा विवादित पट्टा इन्ही केम्प में जारी किया गया है। इसको जारी करने में निगरानीकर्ता की किसी प्रकार से बद्नीयत नही रही है।

v. विवादित भूमि राजस्व भूमि रही होकर धारा 90ए नगरपालिका अधिनियम के तहत परिवर्तित होकर निजी भूमि है, जिस पर राज्य सरकार का कोई हक अधिकार नही है। परिवादिया/गैर–निगरानीकर्ता संख्या 2 वादग्रस्त भूमि को गलती से रास्ते की भूमि बता रही है। उक्त भूमि एक भूखण्ड है। राज्य सरकार द्वारा किसी प्रकार का परिवाद विचारण न्यायालय के समक्ष पेश नही किया है। विवादग्रस्त भूमि निजी सम्पति है, जिसको विचारण न्यायालय द्वारा सरकारी भूमि माना गया है, जिस कारण प्रसंज्ञान आदेश विधि विरूद्ध, अनुचित, अवैध व गैर कानूनी होने से अपास्त योग्य है।

vi. परिवादीया द्वारा वादग्रस्त भूमि में आवासीय कॉलोनी का प्लान नगर पालिका द्वारा स्वीकृत नही है। ऐसा कोई आवासीय कॉलोनी का प्लान पत्रावली में पेश नही हुआ है। विचारण न्यायालय ने आवासीय कॉलोनी का प्लान नगर पालिका से स्वीकृत मानने में तथ्यात्मक व विधिक भूल की है, जिससे आलोच्य आदेश अपास्त किए जाने योग्य है।

vii. निगरानीकर्ता द्वारा श्रीमति प्रेमलता द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्रो के आधार पर पट्टा जारी किया गया है। यदि श्रीमति प्रेमलता द्वारा मिथ्या शपथ पत्र पेश किए गए है, तो इस हेतु निगरानीकर्ता उत्तरदायी नही है।

निगरानीकर्ता द्वारा कोई प्रवंचना नही की है और न ही कूटरचित दस्तावेज तैयार किए है। परिवादिया/गैर–निगरानीकर्ता संख्या 2 द्वारा वर्णित सिविल वाद एकपक्षीय डिक्री किया गया है तथा उसमें भी विवादित भूमि के टाईटल का निर्धारण नही किया है। निगरानीकर्ता के विरूद्ध प्रसंज्ञान से पूर्व धारा 197 दण्ड प्रक्रिया संहिता (आगे संक्षिप्तता हेतु सीआरपीसी) के तहत पूर्व–मंजूरी लिया जाना आवश्यक है। इसके अभाव में आलोच्य आदेश अपास्त योग्य है।

viii. परिवादिया/गैर–निगरानीकर्ता संख्या 2/गैर निगरानीकर्ता संख्या 2 ने विवादित पट्टे के गलत होने के संबंध में किसी प्रकार की सूचना निगरानीकर्ता को नही दी। यदि ऐसा किया जाता तो निगरानीकर्ता द्वारा पट्टे मे वर्णित तथ्यो एवं मौके की स्थिति का मिलान कर यथोचित आदेश पारित किया जा सकता था। परिवादिया/गैर–निगरानीकर्ता संख्या 2 द्वारा उपलब्ध कानूनी विकल्पो का चयन नही करने से वह निगरानीकर्ता के विरूद्ध छल, प्रवंचना एवं कूटरचित दस्तावेज रचित करने के आरोप प्रस्तुत नही कर सकती है। अतः निगरानी याचिका को स्वीकार कर आलोच्य आदेश को अपास्त किया जाने का निवेदन किया।

3. इसके विपरीत विद्वान अपर लोक अभियोजक का दौराने बहस यह तर्क रहा है कि विचारण न्यायालय द्वारा पारित आलोच्य आदेश में कोई अवैधता नहीं है और विद्वान विचारण न्यायालय का आलोच्य आदेश विधि एवं तथ्यों के अनुकूल है। विचारण न्यायालय द्वारा पत्रावली पर उपलब्ध मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य का समग्र अवलोकन कर अपने आदेश में पूर्ण विवेचन करते हुये आलोच्य आदेश पारित किया गया है, जिसमें हस्तक्षेप किये जाने के कोई आधार पत्रावली पर उपलब्ध नहीं है। इसलिये निगरानी याचिका खारिज किये जाने का निवेदन किया है।

4. निगरानी याचिका का विरोध करते हुए अधिवक्ता गैर निगरानीकर्ता संख्या 2 ने बहस के दौरान निम्न तर्क प्रस्तुत किए :–

i. विद्वान विचारण न्यायालय का आलोच्य आदेश पूर्णतः विधिसम्मत, तर्कसंगत तथा पत्रावली पर उपलब्ध मौखिक व दस्तावेजी साक्ष्यो के समुचित मूल्यांकन पर आधारित है। निगरानी न्यायालय का अधिकार क्षेत्र सीमित है। निगरानी न्यायालय को मात्र आदेश की विधिपूर्वक होने अथवा नही होने के संबंध में विनिश्चय किया जाना होता है, न कि प्रकरण के गुणावगुण के आधार पर साक्ष्य का विवेचन कर अंतिम निर्णय पारित किया जाना होता है।

ii. निगरानीकर्ता द्वारा प्रस्तुत निगरानी याचिका मियाद अवधि गुजरने के पश्चात् प्रस्तुत की गई है, जिसके संबंध में कोई भी युक्तियुक्त कारण निगरानीकर्ता द्वारा प्रस्तुत नही किया है, जिससे निगरानी याचिका मियाद बाहर होने से पोषणीय नही है।

iii. निगरानीकर्ता द्वारा श्रीमति प्रेमलता के नाम पर एक फर्जी पट्टा जारी करने के आरोप विचारण न्यायालय द्वारा प्रथम दृष्टया बनना पाया गया है। निगरानीकर्ता ने श्रीमति नर्बदा के भूखण्ड संख्या 98 के जारीशुदा पट्टे में दक्षिण दिशा में 17 फीट रास्ता होने का स्पष्ट उल्लेख है। इसके बावजूद निगरानीकर्ता द्वारा भूखण्ड संख्या 99 का पट्टा जारी करते समय उक्त 17 फीट रास्ते का पट्टा तथ्यो की प्रवंचना करते हुए जारी किया गया है।

iv. गैर–निगरानीकर्ता संख्या 2 द्वारा एक सिविल वाद संख्या 49/2022 अनवानः श्रीमति नर्बदा देवी बनाम श्रीमति प्रेमलता वास्ते स्थायी निषेधाज्ञा व सुखाधिकार प्रस्तुत किया है। उक्त वाद में वरिष्ठ सिविल न्यायालय, नावां द्वारा दिनांक 05.05.2025 को एकपक्षीय डिक्री गैर–निगरानीकर्ता संख्या 2 के पक्ष में जारी करते हुए वादीया के भूखण्ड के दक्षिण में स्थित 17 फुट चौडाई के आम रास्ते पर अतिक्रमण नही करने की निषेधाज्ञा पारित की गई है।

v. इस प्रकार सिविल न्यायालय ने भी वादिया के भूखण्ड के दक्षिण दिशा में 17 फुट रास्ता होना माना है, परन्तु निगरानीकर्ता द्वारा बिना मौके पर

मुआयना किए कूटरचित पट्टा जारी किया गया है। इस संबंध में विचारण न्यायालय द्वारा पारित आदेश पूर्णतः साक्ष्य पर आधारित है। ऐसे में निगरानी याचिका खारिज करने का निवेदन किया।

5. उभय पक्षकारान की ओर से प्रस्तुत तर्को पर मनन किया गया। विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित आलोच्य आदेश तथा पत्रावली पर उपलब्ध समस्त सुसंगत अभिलेख का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया।

6. हस्तगत निगरानी के निस्तारण हेतु न्यायालय के समक्ष निम्न अवधारणीय प्रश्न हैः

क्या विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा दिनांक 17.09.2025 को पारित आदेश अशुद्ध, अवैध एवं औचित्यहीन होने एवं विचारण न्यायालय द्वारा प्रकियात्मक अनियमितता करने के कारण अपास्त किये जाने योग्य है?

7. इस संबध में प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न विचारण न्यायालय की पत्रावली के प्रमाणित प्रति का अवलोकन किया जाए तो श्रीमति नर्बदा देवी द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 156(3) सीआरपीसी दिनांक 08.09.2022 को विचारण न्यायालय के समक्ष इस आशय का प्रस्तुत किया गया है कि परिवादिया/गैर–निगरानीकर्ता संख्या 2 ने एक भूखण्ड श्रीमति प्रभाती देवी से दिनांक 04.07.2017 को जरिये इकरारनामा तुल्य बेचाननामा से खरीद किया था। उक्त भूखण्ड में परिवादिया/गैर–निगरानीकर्ता संख्या 2 व विक्रेता श्रीमति प्रभाती देवी ने अपने हस्ताक्षर व अंगुष्ठ निशानी कर तहरीर व तकमील कर जरिये नोटेरी से तस्दीक कर प्रमाणित करवाया है। रजिस्टर्ड इकरारनामा के साथ उक्त कॉलोनी के नक्शा प्लान की फोटो प्रति विक्रेता द्वारा परिवादिया/गैर–निगरानीकर्ता संख्या 2 को उपलब्ध करवायी गयी है, जिसमें भूखण्ड संख्या 98 दर्ज है।

8. परिवाद मे आगे अंकन किया है कि उक्त भूखण्ड परिवादिया/ गैर–निगरानीकर्ता संख्या 2 का कब्जेशुदा व स्वामित्वशुदा है, जिस पर परिवादिया/ गैर–निगरानीकर्ता संख्या 2 द्वारा निर्माण कार्य भी किया गया है। उक्त भूखण्ड के नाप चौक व हद–हदुद निम्न हैः– उत्तर दिशा में भूखण्ड संख्या 97 व दक्षिण दिशा में 17 फीट का आम रास्ता, पूर्व दिशा में अन्य की भूमि व पश्चिम दिशा में

20 फीट का रास्ता स्थित है। परिवादिया/गैर–निगरानीकर्ता संख्या 2 के भूखण्ड के दक्षिण में 17 फीट का रास्ता है, परन्तु श्रीमति प्रेमलता द्वारा उक्त 17 फीट का रास्ता अर्थात् 93.18 वर्गमीटर का फर्जी व कूटरचित दस्तावेज निगरानीकर्ता व अन्य अभियुक्तगण से तैयार करवा पट्टा संख्या 516/2022–23 जारी किया है।

9. परिवाद में आगे अंकन किया है कि पट्टा संख्या 516/2022–23 दिनांक 24.06.2022 पट्टा धारक का नाम प्रेमलता के पास वार्ड नं 4 नावां शहर के पक्ष में उक्त दक्षिण दिशा की तरफ का 17 फीट का आम रास्ता अर्थात 93.18 वर्गमीटर के रास्ते अभियुक्त संख्या 2 व 3 ने स्वयं के हस्ताक्षर कर कार्यालय की सील मोहर से तस्दीक कर अवैध व शून्य पट्टा बना दिया है, जो विधि विरूद्ध है। अभियुक्त संख्या 2 व 3 ने उक्त पट्टे में भूखण्ड संख्या अंकित नही किया है। इस प्रकार अभियुक्त संख्या 1, 4, 5 ने बिना किसी प्रकार के हक व अधिकार के अभियुक्त संख्या 1 के पक्ष में जारी किया गया है। अतः धारा 156(3) सीआरपीसी के तहत पुलिस थाना नावां को अनुसंधान हेतु प्रेषित किए जाने का निवेदन किया।

10. उक्त प्रार्थना पत्र को विचारण न्यायालय द्वारा परिवाद के रूप में दर्ज कर विचारण के दौरान परिवादिया/गैर–निगरानीकर्ता संख्या 2 के साक्ष्य लेखबद्ध की जाकर आदेश दिनांक 17.09.2025 द्वारा निगरानीकर्ता के विरूद्ध अपराध धारा 420, 465, 467, 468, 120बी आईपीसी में प्रसंज्ञान लिया गया है।

11. प्रसंज्ञान आदेश के विवेचन से पूर्व मियाद अवधि के संबंध में प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के संबंध में निगरानीकर्ता द्वारा मुख्य रूप से पत्रावली की प्रतिलिपि प्राप्त होने में देरी तथा उसके द्वारा माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय में याचिका प्रस्तुत को आधार बताया है। अपने तर्को के समर्थन में निगरानीकर्ता द्वारा प्रार्थना पत्र के साथ शपथ पत्र पेश किया है तथा अभिभाषक–पत्र, प्रतिलिपि प्रार्थना पत्र दिनांक 29.09.2025 की प्रति प्रस्तुत की है।

12.निगरानीकर्ता द्वारा प्रस्तुत प्रतिलिपि प्रार्थनापत्र का अवलोकन किया जाए तो इसमें प्रतिलिपि दिनांक 03.10.2025 को प्राप्त होना दर्शित होता है। इसके साथ ही माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के S.B. Criminal Misc(Pet.) No. 10130/2025 **Shikesh Kankaria Vs State of Rajasthan & anr.** के आदेश दिनांक 10.12.2025 की वेबसाईट प्रति प्रस्तुत की है, जिसके अवलोकन से निगरानीकर्ता द्वारा उक्त आदेश के विरूद्ध माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय में याचिका प्रस्तुत करना दर्शित होता है तथा आदेश में याचिकाकर्ता/निगरानीकर्ता को रिवीजन प्रस्तुत के ईजाजत प्रदान की गई है। उपरोक्त आदेश के पश्चात् निगरानीकर्ता द्वारा उक्त निगरानी याचिका दिनांक 24.12.2025 को न्यायालय हाजा में प्रस्तुत की है।

13.इस प्रकार निगरानीकर्ता द्वारा निगरानी याचिका धारा 131 परिसीमा अधिनियम में विहित अवधि (90 दिवस) के पश्चात् प्रस्तुत करने के संबंध में संतोषप्रद व्याख्या की है। ऐसे में धारा 5 परिसीमा अधिनियम के तहत उक्त निगरानी याचिका की प्रस्तुती में हुई देरी को क्षमा किया जाना न्यायसंगत प्रतीत होता है।

14.इसके पश्चात् आलोच्य आदेश के संबंध में विवेचन किया जाए तो उक्त प्रसंज्ञान आदेश के विरूद्ध प्रस्तुत निगरानी याचिका में निगरानीकर्ता द्वारा आदेश को विधि–सम्मत तथा आज्ञापक प्रावधानो की अनुपालना नही करने के तर्क प्रस्तुत किए है। निगरानीकर्ता द्वारा प्रस्तुत तर्को एवं पत्रावली के अवलोकन से उत्पन्न विचारणीय बिन्दुओ का विवेचन निम्न प्रकार किया जा रहा हैः–

(A) धारा 197 सीआरपीसी के तहत पूर्व मंजूरी के संबंध में विवेचनः–

15.निगरानीकर्ता अधिवक्ता द्वारा प्रसंज्ञान आदेश के विरूद्ध सर्वप्रथम यह तर्क प्रस्तुत किया गया है कि विचारण न्यायालय ने निगरानीकर्ता के विरूद्ध प्रसंज्ञान से पूर्व धारा 197 सीआरपीसी के तहत पूर्व मंजूरी प्राप्त नही की है। निगरानीकर्ता एक लोकसेवक है तथा उक्त कृत्य उसके कर्तव्य की परिधि में

आने से पूर्व मंजूरी प्राप्त करना पूर्ववर्ती शर्त है। उक्त मंजूरी के बिना निगरानीकर्ता के विरूद्ध पारित प्रसंज्ञान आदेश विधिविरूद्ध है।

16.इसके विपरीत अधिवक्ता गैर–निगरानीकर्तागण के संयुक्त तर्क रहे है कि छल करने का अपराध किसी प्रकार के लोकसेवक के विधिक कर्तव्यो की परिधि में नही आता है। इस कारण धारा 197 सीआरपीसी का संरक्षण निगरानीकर्ता को प्राप्त नही है।

17.इस संबंध में विधिक स्थिति का अवलोकन किया जाए तो धारा 197 सीआरपीसी निम्न प्रकार हैः–

> **197. Prosecution of Judges and public servants.**—(1) When any person who is or was a Judge or Magistrate or a public servant not removable from his office save by or with the sanction of the Government is accused of **any offence alleged to have been committed by him while acting or purporting to act in the discharge of his official duty**, **no Court shall take cognizance of such offence except with the previous sanction** 6[save as otherwise provided in the Lokpal and Lokayuktas Act, 2013 (1 of 2014)]—
> (a) in the case of a person who is employed or, as the case may be, was at the time of commission of the alleged offence employed, in connection with the affairs of the Union, of the Central Government;
> (b) in the case of a person who is employed or, as the case may be, was at the time of commission of the alleged offence employed, in connection with the affairs of a State, of the State Government:
> [Provided that where the alleged offence was committed by a person referred to in clause (b) during the period while a Proclamation issued under clause (1) of article 356 of the Constitution was in force in a State, clause (b) will apply as if for the expression "State Government" occurring therein, the expression "Central Government" were substituted.]

18.हस्तगत प्रकरण में निगरानीकर्ता अधिशाषी अधिकारी, नगरपालिका नावां के पद पर पदस्थापित होकर भारतीय दण्ड संहिता की धारा 21 के तहत लोकसेवक है।

प्रकरण में मुख्य रूप से विवाद निगरानीकर्ता द्वारा तथाकथित फर्जी पट्टे पर हस्ताक्षर होने से उसके विरूद्ध छल, प्रवंचना तथा कूटरचित दस्तावेज का आरोप है।

19.इस संदर्भ में में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने न्यायिक दृष्टान्त **Surendra Mathur Vs State of Rajasthan** S.B. Criminal Misc(Pet.) No. 4314 of 2017 [2018 Supreme(Raj) 272] Date 22.02.2018 में प्रार्थी के नगरपालिका के अधिशाषी अधिकारी के हैसियत से फर्जी पट्टे पर हस्ताक्षर करने के आरोप के संबंध में न्यायिक मत State of Maharashtra Vs. Dr. Budhikota Subbarao [(1993) 3 SCC 339 का अवलम्ब लेते हुए धारा 197 सीआरपीसी को पूर्ववर्ती शर्त माना है, तथा पूर्ववर्ती शर्त के अभाव में अभियोजन कार्यवाही को निरस्त किया है। उपरोक्त न्यायिक मत का सुसंगत पैरा निम्न है हैः–

> "6. The crucial issue which requires judicial scrutiny in the matter is availability of protection under Section 197 Cr.P.C. to the petitioner before taking cognizance for the charged offences. At the outset, it is made clear that status of the petitioner as public servant when alleged offences are committed is not in dispute. In such a situation, Court is required to see the acts/omissions attributed to the public servant done by him while acting or purportedly to act in discharge of his official duty. Being pre- requisite to attract protection under Section 197 Cr.P.C., I have made endeavour to examine the charge-sheet and other available material on record.
>
> 7. Upon scanning the charge-sheet and other documents it is crystal clear that petitioner on the crucial day was working as Revenue Inspector with Municipal Board, Barmer in substantive capacity. It is also borne out that due to administrative exigencies at the relevant point of time, petitioner was officiating as E.O. of the Municipal Board and entrusted all administrative and financial powers of E.O. Therefore, undeniably, petitioner has put his initials on the relevant papers while acting or

purporting to act in discharge of his official duty in absence of E.O., who was on leave. This being the situation, in my view, protection available under Section 197 Cr.P.C. is clearly attracted and petitioner's grievance in this behalf is legitimate which ought to have been considered by learned trial Court.

***

10. As observed hereinabove, putting initials on relevant papers by the petitioner was an act done in discharge of his official duty or purporting to act in discharge of his official duty, sanction for prosecution under Section 197 Cr.P.C. was essential. There is nothing on record to show that competent authority has granted sanction for prosecution of the petitioner under Section 197 Cr.P.C. Thus, the impugned order and further proceedings pursuant thereto in Sessions Case No.41/2012 cannot be sustained. Allowing proceedings to continue in the matter would be sheer abuse of the process of the Court and result in miscarriage of justice."

20.उपरोक्त मत के प्रकाश में हस्तगत मामले का अवलोकन किया जाए तो इसमें निगरानीकर्ता द्वारा अपने पदीय कर्तव्यो के निर्वहन में तथाकथित पट्टे पर हस्ताक्षर किए है। इसके संबंध में निगरानीकर्ता द्वारा ***"प्रशासन शहरो के संग अभियान–2021"*** की मार्ग–निदेर्शिका में वर्णित सभी प्रावधानो का अवलोकन कर, सभी आवश्यक दस्तावेज पेश करने पर हस्ताक्षर किए है। इस प्रकार उक्त कृत्य पूर्ण रूप से निगरानीकर्ता के पदीय कर्तव्यो के परिधि में आने से धारा 197 सीआरपीसी की पूर्व मंजूरी अनिवार्य है।

21.विचारण न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से उक्त मामले में धारा 197 सीआरपीसी के तहत पूर्व मंजूरी प्राप्त करना दर्शित नही होती है। पूर्व मंजूरी के संबंध में विचारण न्यायालय द्वारा किया गया विवेचन विधि–अनुसार होना दर्शित नही होता है।

(B) अपराध धारा 420, 465, 467, 468 व 120बी आईपीसी का मामला प्रथम दृष्टया बनने के सम्बन्ध मेंः–

22.निगरानीकर्ता अधिवक्ता का यह तर्क रहा है कि निगरानीकर्ता द्वारा सभी आवश्यक दस्तावेजात के अवलोकन के पश्चात ही पट्टे पर हस्ताक्षर किए है, ऐसे में निगरानीकर्ता द्वारा परिवादिया/गैर–निगरानीकर्ता संख्या 2 के साथ किसी प्रकार की धोखाधडी करना प्रथम दृष्टया साबित नही होती है। इसके अतिरिक्त निगरानीकर्ता द्वारा अपने दैनिक पदीय नियमित कार्य के निर्वहन के दौरान उक्त हस्ताक्षर किए है। इस संबंध में नगर पालिका नावां की पत्रावली संलग्न विचारण पत्रावली है। निगरानीकर्ता के विरूद्ध किसी प्रकार का आपराधिक षडयन्त्र करने के संबंध में कोई आधार प्रस्तुत नही हुए है।

23.इसके विपरीत गैर–निगरानीकर्तागण ने संयुक्त तर्क प्रस्तुत किए है कि विचारण न्यायालय द्वारा पत्रावली पर उपलब्ध मौखिक साक्ष्य व दस्तावेजात के आधार पर विस्तृत विश्लेषण कर आलोच्य आदेश पारित किया है। इस संबंध में किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता नही है।

24.इस संबंध में पत्रावली का अवलोकन किया जाए तो परिवादिया/गैर–निगरानीकर्ता संख्या 2 द्वारा निगरानीकर्ता के विरूद्ध मुख्य रूप से तथाकथित पट्टे संख्या 516/2022–23 पर हस्ताक्षर होने से उसे छल करने का आरोपी माना है।

25.इस संबंध में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने न्यायिक दृष्टान्त **Dalveer Singh Dhaddha Vs State of Rajasthan & anr.** S.B. Criminal Misc(Pet.) No. 3147/2015 [2025:RJ-JD:18128] Date 21.03.2025 में निम्न मत अभिव्यक्त किया हैः–

> "4. **A mere irregularity or administrative lapse in official decision-making, particularly in the day-to-day functioning of municipal bodies, does not ipso facto attract the rigors of criminal law.** The offences invoked under Sections 420, 467, 468, and 471 IPC are grave and require clear demonstration of mens rea, i.e., dishonest or fraudulent

intention from the very inception. There is a categorical failure on the part of the courts below to consider the sine qua non of these penal provisions.

5. Section 420 IPC necessitates the existence of deception with fraudulent or dishonest inducement at the time of the transaction. In the case at hand, the application for strip land was processed through official channels and based on documentation presented. There is no material to show that any false representation was made knowingly or with intent to deceive.

7. The petitioners are public servants whose role was, at best, peripheral and administrative in nature. In institutions such as municipal corporations, files pass through multiple hands before a final decision is taken. It is neither feasible nor legally tenable to presume conspiracy merely because a particular file was signed by an officer in the ordinary course of duty.

8. Public officials who process applications forwarded to them after scrutiny by subordinate officers, and who act in accordance with the then-prevailing rules and legal advice, cannot be saddled with criminal liability in the absence of demonstrable dishonest intention. If the strip land allotment was improper, it could very well have been rectified through civil remedies or seal-and-demolish proceedings, but not by dragging officers into protracted criminal trials without cogent evidence.

***

10. The strip land allotment was initiated upon application made by Smt. Devkaur Vyas. The process involved submission of maps, inspection reports, newspaper publication (even if later contested), and compliance with procedural formalities. Even if one questions the quality or veracity of such steps, there is no compelling material to infer that the petitioners acted outside the framework of rules or usurped authority for personal gain.

11. This Court notes with concern that the learned Magistrate failed to appreciate the distinction between procedural lapses and criminal conspiracy. The finding that the opportunity notice was published in a newspaper not recognized by RNI

or DPR, or that signatures on inspection reports bore a later date, at best, reflect administrative negligence or irregularity, but not criminal intent."

26.उपरोक्त मत के प्रकाश में पत्रावली का अवलोकन किया जाए तो विचारण न्यायालय ने आलोच्य आदेश में भूखण्ड संख्या 98 के संबंध में पट्टा पूर्व में जारी होने तथा उक्त तथ्य की जानकारी निगरानीकर्ता को होने के बावजूद पट्टा जारी करने को आधार माना है।

27.विवादित पट्टा संख्या 516/2022–23 दिनांक 24.06.2022 को श्रीमति प्रेमलता के पक्ष में जारी किया गया है तथा उक्त पट्टे पर निगरानीकर्ता के बतौर अधिशाषी अधिकारी, नगरपालिका नावां के हस्ताक्षर है। इसके विपरीत परिवादिया/गैर–निगरानीकर्ता संख्या 2 नर्मदा देवी को पट्टा 926/2022–23 दिनांक 05.02.2024 को भूखण्ड संख्या 98 हेतु जारी किया गया था तथा उक्त पट्टे पर निगरानीकर्ता के हस्ताक्षर नही है।

28.ऐसे में विचारण न्यायालय का यह विवेचन कि निगरानीकर्ता द्वारा पूर्व में भूखण्ड संख्या 98 का पट्टा जारी किया गया होने का तथ्य पूर्णतः सत्य नही है। उक्त भूखण्ड संख्या 98 का पट्टा, विवादित पट्टे के पश्चात् दिनांक 05.02.2024 को जारी किया गया है तथा पश्चातवर्ती पट्टे पर निगरानीकर्ता के हस्ताक्षर नही है, ऐसे में यह विवेचित करना कि निगरानीकर्ता को भूखण्ड संख्या 98 के पट्टे की जानकारी थी, पूर्णतः सही होना दर्शित नही होता है।

29.इसके अतिरिक्त विचारण न्यायालय ने आलोच्य आदेश में बिना मौके की जांच किए पट्टा जारी करने का आरोप प्रथम दृष्टया माना है। इस संबंध में पट्टे का अवलोकन किया जाए तो उक्त पट्टा राजस्थान सरकार की योजना ***"प्रशासन शहरो के संग अभियान–2021"*** के तहत जारी किया गया है। इस परियोजना के संबंध में राजस्थान सरकार द्वारा मार्ग–निर्देशिका जारी की गई है, जिसके अनुसार सबंधित अधिकारियो का पट्टा जारी करने के आदेश पारित किए गए थे। मार्ग–निर्देशिका–1 का अवलोकन किया जाए तो इसमें शीर्षक **"धारा 69–ए के अन्तर्गत पट्टे"** में स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान, जयपुर के परिपत्र क्रमांकः **प.**

8(ग)( )(PSKS)अभियान–2021/नियम/डीएलबी/21/68191 दिनांक 27.09.2021 को संलग्न किया गया है।

30.उक्त परिपत्र में बिन्दु संख्या 6 में **"प्रकिया"** का वर्णन किया गया है। जिसमें आवेदक द्वारा आवेदन प्रपत्र–1 मे करने, प्रपत्र–2 में शपथ पत्र, प्रपत्र–3 में क्षतिपूर्ती बन्ध पत्र, आवेदित भूखण्ड के स्वामित्व दस्तावेज, साईट प्लान, पहचान पत्र इत्यादि प्रस्तुत करने पर प्राधिकृत अधिकारी द्वारा दस्तावेज की जांच करना उल्लेखित है। इसके पश्चात् प्राप्त आवेदन पर 7 दिवस की लोक–सूचना एक राज्य स्तरीत दैनिक समाचार पत्र के स्थानीय संस्करण में प्रकाशित करने तथा निर्धारित समयावधि में आपत्ति प्राप्त नही होने पर प्राधिकृत अधिकारी द्वारा अभ्यर्पण स्वीकार करने के आदेश पारित करने का उल्लेख है।

31.उपरोक्त प्रकिया के संबंध में विचारण न्यायालय के साथ संलग्न नगरपालिका नावां की पट्टा पत्रावली का अवलोकन किया जाए तो इसमें आवेदक द्वारा निर्धारित प्रारूप में आवेदन किया गया है। आवेदक द्वारा भूखण्ड के स्वामित्व के संबंध में बेचाननामा मय इकरारनामा दिनांक 07.09.2021 श्रीमति जुम्मा बेगम बहक श्रीमति प्रेमलता प्रस्तुत किया है। उपरोक्त सभी दस्तावेजात की जांच करने के पश्चात् संबंधित भूमि शाखा द्वारा जांच करने की रिपोर्ट के साथ पत्रावली अधिशाषी अधिकारी/निगरानीकर्ता के समक्ष प्रस्तुत की है। निगरानीकर्ता द्वारा उक्त रिपोर्ट के आधार पर आपत्ति सूचना जारी करने के आदेश पारित किए है। निर्धारित सात दिवस में आपत्ति प्राप्त नही होने पर कनिष्ठ अभियन्ता से रिपोर्ट प्राप्त कर, उसकी रिपोर्ट व स्वामित्व दस्तावेज के आधार पर निगरानीकर्ता द्वारा उक्त पट्टा जारी किया गया है।

32.निगरानीकर्ता द्वारा उक्त पट्टा अधीनस्थ कार्मिको की जांच के पश्चात् उनकी रिपोर्ट के आधार पर जारी किया गया है। उपरोक्त कार्यवाही के संबंध में परिवादिया/गैर–निगरानीकर्ता संख्या 2 ने ऐसा कोई आक्षेप प्रस्तुत नही किया है कि उसके द्वारा आपत्ति सूचना जारी होने की निर्धारित अवधि में किसी प्रकार की आपत्ति निगरानीकर्ता के समक्ष प्रस्तुत की हो। सम्पूर्ण पट्टा पत्रावली के

अवलोकन से उपरोक्त पट्टा विहित परिपत्रो के अनुसार जारी होना दर्शित होता है। इस प्रकार विचारण न्यायालय द्वारा मौके की जांच नही करने का विवेचन तर्कसंगत प्रतीत नही होता है।

33.इसके अतिरिक्त अपराध धारा 415 आईपीसी छल (cheating) शब्द को स्पष्ट रूप से परिभाषित करती है कि धोखाधड़ी या बेईमानी के इरादे से किया गया कोई भी कार्य ''छल'' की श्रेणी में आएगा, यदि उसका उद्देश्य उस धोखे में आए व्यक्ति को किसी अन्य व्यक्ति को कोई संपत्ति सौंपने के लिए प्रेरित करना हो, या इस बात के लिए सहमति देना हो कि कोई अन्य व्यक्ति किसी संपत्ति को अपने पास रखे, जिससे उस व्यक्ति को कोई नुकसान या हानि पहुँचे।

34.अपराध धारा 420 आईपीसी के प्रावधानों को लागू करने के लिए, अभियोजन पक्ष को न केवल यह साबित करना होगा कि आरोपी ने किसी के साथ छल किया है, बल्कि यह भी कि ऐसा करके, उसने उस व्यक्ति को, जिसके साथ छल हुआ है, बेईमानी से कोई संपत्ति सौंपने के लिए प्रेरित किया है। इस प्रकार, इस अपराध के तीन मुख्य तत्व हैंः–

i. किसी व्यक्ति को धोखा देना,
ii. उस व्यक्ति को कपटपूर्वक या बेईमानी से किसी अन्य व्यक्ति को कोई संपत्ति सौंपने के लिए प्रेरित करना, और
iii. प्रेरित करते समय आरोपी का ''मेन्स रिया'' (mens rea) या दुराशय होना। छल के अपराध के लिए, दुराशय उस समय से ही मौजूद होना चाहिए, जब कोई वादा या बयान दिया गया था।

35.हस्तगत प्रकरण में परिवादीया/गैर–निगरानीकर्ता संख्या 2 ने मात्र निगरानीकर्ता को फर्जी पट्टे बनाने में शामिल होना बताया है। परन्तु पूर्व विवेचनानुसार निगरानीकर्ता द्वारा विवादित पट्टे को दैनिक नियमित कार्य के दौरान तथा अधीनस्थ कार्मिको की रिपोर्ट के आधार पर जारी किया है। परिवादिया के मौखिक कथनो एवं लिखित परिवाद के अवलोकन से यह तथ्य दर्शित नही होता है कि विहित प्रक्रिया के तहत पट्टा जारी करने पर किस प्रकार उसने श्रीमति

नर्बदा देवी को सदोष हानि कारित की है तथा किस प्रकार उक्त कृत्य से सदोष लाभ उसे प्राप्त हुआ है। सम्पूर्ण तथ्यो के अवलोकन से धारा 420 आईपीसी के मुख्य अवयव कपटपूर्वक या बेईमानी से उत्प्रेरित करने का तथ्य दर्शित नही होता है। यह भी दर्शित नही हुआ है कि निगरानीकर्ता का उक्त पट्टा जारी करने में किसी प्रकार का कोई दुराशय रहा हो। दुराशय (mens rea) के अभाव में धारा 420 आईपीसी का मामला निगरानीकर्ता के विरूद्ध बनना नही पाया जाता है।

36.जहॉ तक निगरानीकर्ता के विरूद्ध धारा 465, 467, 468, 120बी भा.द.स. का आरोप प्रथम दृष्टया बनने का प्रश्न है, इस संबंध में न्यायालय का मत है कि उपरोक्त सभी अपराधो में दुराशय मुख्य व अनिवार्य अवयव है। निगरानीकर्ता के विरूद्ध दुराशय (mens rea) का बिन्दु पूर्व–विवेचनानुसार प्रथम दृष्टया दर्शित नही हुआ है। इसके अलावा भी गैर–निगरानीकर्ता संख्या 2 द्वारा प्रस्तुत आवेदन पर सभी संलग्न दस्तावेजात की जांच करने के पश्चात भूमि शाखा, नगर पालिका नावां द्वारा आवेदन निगरानीकर्ता के समक्ष प्रस्तुत हुआ है। इस प्रकार निगरानीकर्ता द्वारा अपने पदीय कर्तव्य के निर्वहन के दौरान श्रीमति प्रेमलता द्वारा पट्टा जारी करने बाबत् आवेदन नियमानुसार प्रस्तुत करने पर विधि–सम्मत कार्यवाही की गई थी।

37.उक्त आवेदन के सम्बन्ध में विहित प्रक्रिया के तहत निगरानीकर्ता द्वारा 7 दिवस की लोक–सूचना एक राज्य स्तरीत दैनिक समाचार पत्र के स्थानीय संस्करण में प्रकाशित करने का आदेश पारित किया गया है। प्रकाशन एवं आपत्ति प्राप्त नही होने की रिपोर्ट प्राप्त होने तथा कनिष्ठ अभियन्ता से मौके की रिपोर्ट प्राप्त करने के पश्चात् उक्त पट्टा जारी किया गया है। ऐसे में यह बिन्दु पूर्णतः दर्शित नही होता है कि निगरानीकर्ता द्वारा बेईमानी से या कपटपूर्वक उक्त दस्तावेज को रचित कर उस पर हस्ताक्षर किए है।

38.निगरानीकर्ता ने विचारण न्यायालय के समक्ष उक्त पट्टा जारी करने के संबंध में उसके समक्ष प्रस्तुत दस्तावेजातो का फर्जी अथवा कूटरचित हस्ताक्षर कर उनको असली के रूप में उपयोग मे लिया हो, पट्टे को स्वयं के उपयोग में लिया हो

अथवा श्रीमति नर्मदा देवी को सदोष हानि पहुचांई या श्रीमति प्रेमलता को सदोष लाभ पहुचांया हो, यह तथ्य विचारण न्यायालय ने प्रसंज्ञान आदेश में उल्लेखित नही किया है।

39.विचारण न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत दस्तावेजात व मौखिक साक्ष्य के अवलोकन से भी यह तथ्य प्रकट नही होता है कि निगरानीकर्ता ने अन्य अभियुक्तगण के साथ मिलकर आपराधिक षडयन्त्र रचा हो तथा श्रीमति प्रेमलता को जारी पट्टे के संबंध में किसी भी दस्तावेज की कूटरचना की थी, कूटरचित हस्ताक्षर किए थे, उन कूटरचित हस्ताक्षर से छल के प्रयोजन से मूल्यवान प्रतिभूति अर्थात् श्रीमति प्रेमलता के पक्ष में जारी पट्टे की कूटरचना की थी। इस प्रकार विचारण न्यायालय उक्त तथ्यो के सम्बन्ध में कोई भी निष्कर्ष आलोच्य आदेश में अभिव्यक्त नही किया है, जिससे निगरानीकर्ता के संबंध में अपराध धारा 420, 467, 468, 120बी आईपीसी का मामला प्रथम दृष्टया प्रकट नही होता है।

40.इसके अतिरिक्त किसी अनियमितता के संबंध में निगरानीकर्ता के पास **The Rajasthan Municipalities Act, 2009** की धारा **73-B. Revocation of allotment and cancellation of lease deed** के तहत जारीशुदा पट्टे के संबंध में यथोचित कार्यवाही करने के प्रावधान मौजूद है। इस संबंध में यदि किसी प्रकार की नियमितता अथवा अशुद्धता निगरानीकर्ता के संज्ञान मे आती है तो वह उपरोक्त धारा के तहत जारीशुदा पट्टा को निरस्त कर सकता है। परन्तु मात्र उसके द्वारा पट्टा जारी करने के हस्ताक्षर होने से यह नही कहा जा सकता है कि उसके द्वारा पट्टा अवैध साधनो के आधार पर जारी किया गया है, एवं उसके विरूद्ध किसी भी अभियोजन कार्यवाही के आधार मौजूद हो जाते है।

41.इस संबंध में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने न्यायिक दृष्टान्त **Bannaram & anr. Vs Municipal Board, Nokha & anr.** S.B. Civil Writ Petition No. 10570/2023 Date 12.09.2023 में निम्न मत अभिव्यक्त किया हैः–

> "9. This Court further observes that the Legislature inserted the new Section 73-B of the Act of 2009 by way

of an Amendment in the year 2021. This Court further observes that the respondent issued the notice for production of the relevant documents, and thereafter cancelled the pattas on the ground that the allotment and pattas of the lands in question were obtained and lease deed was executed by way of:-

(a) Misrepresentation of facts or;
(b) On the basis of false documents or;
(c) With collusion or;
(d) In contravention of law

***

11. This Court further observes that the intention of the Legislature and the Government of the Rajasthan clearly show that the Municipality concerned has power to issue show cause notice and cancel the patta and lease deed if the same are found in violation of the aforementioned prescriptions of Section 73-B of the Act of 2009, after duly following the procedure as laid down therein."

42.इस प्रकार यह प्रावधान नगरपालिका के प्राधिकृत अधिकारी को उपरोक्त आधारो में से किसी आधार पर जारीशुदा पट्टे को निरस्त करने की शक्ति प्रदान करता है। इस प्रकार गैर–निगरानीकर्ता संख्या 2 के पास यह विकल्प मौजूद है कि वह संबंधित प्राधिकृत अधिकारी के समक्ष उपरोक्त आधारो को प्रस्तुत कर तथाकथित पट्टे, जो श्रीमति प्रेमलता के पक्ष में जारी किया गया है, को निरस्त करवा सकती है।

43.सम्पूर्ण विवेचन से निगरानीकर्ता द्वारा पट्टे जारी करने के संबंध में सम्पूर्ण कार्यवाही निर्धारित प्रक्रिया के तहत अपने दैनिक नियमित पदीय कर्तव्यो के निर्वहन मे किए जाने का तथ्य दर्शित होता है। पत्रावली के अवलोकन से श्रीमति नर्बदा देवी के पक्ष में जारी पट्टे पर निगरानीकर्ता के हस्ताक्षर नही होने तथा उक्त पट्टा (दिनांक 05.02.2024) विवादित पट्टे (दिनांक 24.06.2022) के बाद में जारी होने से यह प्रथम दृष्टया दर्शित नही होता है कि निगरानीकर्ता द्वारा किसी प्रकार का छल, कूटरचित मूल्यवान प्रतिभूति/पट्टे की कूटरचना की थी तथा

श्रीमति नर्बदा देवी के साथ छल करने के प्रयोजन से वह कूटरचित पट्टा जारी किया हो।

44.पत्रावली के अवलोकन से यह तथ्य स्पष्ट रूप से दर्शित होता है कि जो पट्टा निगरानीकर्ता ने जारी किया है, वह समुचित प्रक्रिया अपनाकर श्रीमति प्रेमलता के पक्ष में जारी किए जाने का तथ्य दर्शित होता है। पश्चातवर्ती प्रक्रम पर दिनांक 05.02.2024 को नगरपालिका नावां के अन्य प्राधिकारियो द्वारा कोई पट्टा परिवादिया श्रीमति नर्बदा देवी के पक्ष में जारी किया गया था, तो उसके सम्बन्ध में किसी भी प्रकार से निगरानीकर्ता को आपराधिक दायित्व का दायी नही ठहराया जा सकता है।

45.उपरोक्त विवेचनानुसार विचारण न्यायालय द्वारा पारित आदेश स्थापित विधि के परिप्रेक्ष्य में विधि–अनुसार पारित किया जाना दर्शित नही होता है। विचारण न्यायालय द्वारा आलोच्य आदेश पारित किये जाने में विधिक व तथ्यात्मक त्रुटि की गई है। विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा निगरानीकर्ता की हद तक पारित प्रसंज्ञान आदेश पूर्णत गलत आधारो एवं साक्ष्य के गलत विश्लेषण पर आधारित है।

46.विचारण न्यायालय ने अपने आदेश में निगरानीकर्ता की उक्त पट्टे जारी करने में किसी प्रकार की दुराशय रहा हो, इसका विवेचन नही किया है। इसके अलावा भी धारा 197 सीआरपीसी के तहत पूर्व–मंजूरी के बिना, विचारण न्यायालय का आलोच्य आदेश विधि के आज्ञापक प्रावधानो की पालना के अभाव में निगरानीकर्ता की हद तक अपास्त किए जाने योग्य है।

47.विचारण न्यायालय द्वारा आलोच्य आदेश पारित किये जाने में विधिक व तथ्यात्मक त्रुटि कारित किये जाने का तथ्य दर्शित होता है। पत्रावली के अवलोकन से एवं आलोच्य आदेश से निगरानीकर्ता के विरूद्ध अपराध धारा 420, 465, 467, 468, 120बी आईपीसी का प्रसंज्ञान लिया जाना न्यायोचित प्रतीत नही होता है।

न्यायालय : अपर सेशन न्यायाधीश, कुचामन सिटी, जिलाः डीडवाना–कुचामन।
फौजदारी निगरानी याचिका संख्या :–07/2026
शिकेष कांकरिया बनाम राजस्थान राज्य व अन्य
आदेश दिनांक : 30.03.2026

–:: आदेश ::–

48.परिणामतः निगरानीकर्ता **शिकेष कांकरिया** की ओर से प्रस्तुत निगरानी याचिका को स्वीकार किया जाकर विद्वान विचारण न्यायालय : अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, नावां द्वारा आपराधिक नियमित प्रकरण संख्या 271/2025, श्रीमति नर्बदा बनाम श्रीमति प्रेमलता व अन्य में पारित **आदेश दिनांक 17.09.2025** को **निगरानीकर्ता की हद तक अपास्त** किया जाता है।

49.इस आदेश की प्रति पालना हेतु विचारण न्यायालय को अविलम्ब प्रेषित की जावे।

(सुन्दर लाल खारोल)
अपर सेशन न्यायाधीश, कुचामन सिटी
जिलाः डीडवाना–कुचामन(राज0)

50.आदेश आज दिनांक 30.03.2026 को विवृत न्यायालय में लिखाया जाकर हस्ताक्षरित, मुद्रांकित कर प्रसारित किया गया।

(सुन्दर लाल खारोल)
अपर सेशन न्यायाधीश, कुचामन सिटी
जिलाः डीडवाना–कुचामन(राज0)